

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), जैसलमेर

क्रमांक: आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/2020/ 7620

दिनांक :- 31.12.2020

प्रेषित :-

संयुक्त शासन सचिव,
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- मानसून वर्ष 2018 एवं 2019 के दौरान दिनांक 17.08.2018 व 03.10.2019 को हुई भारी वर्षा से मौसमी नदी में अतिवृष्टि के कारण अत्यधिक पानी के बहाव से उत्पन्न स्थिति में नदी के बहाव में डूब जाने से मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता स्वीकृत करने बाबत।

सन्दर्भ:- DMIS पोर्टल पर रिपोर्ट माँग के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ में निवेदन है कि मानसून वर्ष 2018 एवं 2019 के दौरान दिनांक 17.08.2018 व 03.10.2019 को हुई भारी वर्षा से मौसमी नदी में अतिवृष्टि के कारण अत्यधिक पानी के बहाव से उत्पन्न स्थिति में नदी के बहाव में डूब जाने से मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता देने हेतु इस कार्यालय की माँग संख्या 1726 दिनांक 07.10.2020 के द्वारा बजट माँग की गई थी। उक्त बजट माँग राशि रुपये 16.00 लाख विभाग के द्वारा रिपोर्ट की गई हैं। उक्त रिपोर्ट माँग के आक्षेपों को दुरुस्त करते हुए निवेदन हैं कि :-

01. घटना की तारीख - दिनांक 17.08.2018 को श्रीमति हुआ देवी पत्नी श्री रमेश कुमार व श्रीमति चम्पा देवी पत्नी श्री मूलाराम की मृत्यु हुई थी तथा दिनांक 03.10.2019 को श्री गम्भीरसिंह पुत्र श्री देवीसिंह व श्री प्रेमराम पुत्र श्री शंकराराम की मृत्यु हुई थी।
02. दुर्घटना का कारण - उक्त घटना बरमसर में बरसाती नदी में अतिवृष्टि से उत्पन्न पानी के तेज बहाव की स्थिति में डूब जाने से हुई।
03. विलम्ब का कारण - उक्त प्रकरणों की इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3897 दिनांक 28.11.2018 व 4220 दिनांक 07.11.2019 के द्वारा ऑफलाइन बजट माँग की गई थी। तत्पश्चात् विभागीय स्तर से दिनांक 07.10.2020 को दूरभाष पर उक्त बजट माँग DMIS पोर्टल पर ऑनलाईन करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके अनुसरण में उसी दिन DMIS पोर्टल पर ऑनलाईन माँग कर दी गई।
04. सक्षम स्वीकृति - संलग्न कर दी गई हैं।

कृपया उक्त बजट राशि रुपये 16.00 लाख आवंटित करने का श्रम करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

प्रभारी अधिकारी सहायता एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर, जैसलमेर

७१

संख्या : जिला कलेक्टर, जैसलमेर/2020-2021/D/OREL/2020/01726
संख्या : dmis/jsm/ora/2020/7311

दिनांक : 07/10/2020
सम्यत : 2076

सहायता
प्रबंधन सहायता एवं विभाग
जिला कलेक्टर, जयपुर

विषय: राशि आवंटन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है की निम्न गतिविधियों में अंकित बजट मद में राशि की आवश्यकता है जिस हेतु निर्धारित राशि में निम्नानुसार राशि की मांग प्रस्तावित है :-

बाद

मुख्य गतिविधि: अनुग्रहिक राहत

उपमुख्य गतिविधि: शौकार्त परिवारों को सहायता

	राशि (रु में)	लाभार्थी संख्या
अवधि राशि	0	0
Earlier Allotments	0	0
Total Expenditure	1,600,000.00	4.00
As per SDRF/NDRF norms (In Rs)	1,600,000.00	4.00

2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02-बाढ़ चक्रवात आदि

11-शौकार्त परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी

02-बाढ़ से जनहानि होने पर अनुग्रह सहायता

01-बाढ़ से जनहानि होने पर अनुग्रह सहायता

02-सहायतार्थ अनुदान

यदि आवश्यकतः नदी के बहाव में डूब जाने पर मृत्यु हो जाने से sdrf norms के अनुसार सहायता अनुदान देने हेतु बजट मांग बाबत

13/10/20
जिला कलेक्टर, जैसलमेर

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), जैसलमेर

क्रमांक: आ.प्र. एवं सहा. / बाढ़ / 2018 / 3097

दिनांक: 28/11/2018

प्रेषित :-

शासन सचिव,
आपदा प्रवन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- मानसून अवधि वर्ष 2018 के दौरान दिनांक 17.08.2018 को हुई भारी वर्षा से मौसमी / सूखी नदी में अत्यधिक पानी के बाहाव से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति में नदी के बाहाव में डूब जाने से मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता स्वीकृत करने बावत्।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि वर्ष 2018 में मानसून अवधि के दौरान दिनांक 17.08.2018 को जैसलमेर जिले के ग्राम वरमसर के पास हुई भारी बरसात से मौसमी / सूखी नदी में अचानक अत्यधिक पानी के तेज बाहाव से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति में डूब जाने से निम्नलिखित महिलाओं की मृत्यु हो गई। इस सम्बन्ध प्राकृतिक आपदा नोचन निधि (एसडीआरएफ) के मानदण्डानुसार मृतक के आश्रितों को प्रत्येक को राशि रुपये 4.00 लाख (राशि रु. चार लाख मात्र) कुल राशि रुपये 8.00 लाख (राशि रुपये आठ लाख मात्र) की आर्थिक सहायता स्वीकृत करवाने एवं उक्त राशि का वजट आवंटन करवाने का श्रम करवायें।

इस पत्र के संलग्न आवेदन-पत्र मय तहसीलदार, जैसलमेर की रिपोर्ट, एफआईआर की प्रति, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की प्रति, परिवार राशन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, भामाशाह कार्ड की प्रति, बैंक खाता पासबुक की प्रति आदि कागजात संलग्न कर श्रीमान् जी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र.सं.	मृतका का नाम व पत्ता	आश्रित का नाम व पत्ता
1.	श्रीमती हुआ देवी पत्नी श्री रमेश कुमार उम्र 34 वर्ष जाति माली निवासी अमरसागर जैसलमेर	श्री रमेश कुमार सुपुत्र रुपाराम जाति माली निवासी अमरसागर जैसलमेर
2.	श्रीमती चम्पा देवी पत्नी श्री मूलाराम जाति माली उम्र 43 वर्ष निवासी बड़ावाग जैसलमेर	श्री मूलाराम सुपुत्र राणाराम जाति माली निवासी बड़ावाग जैसलमेर

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(अमरप्रकाश कसरा)
जिला कलक्टर
जैसलमेर

राजस्थान-सरकार

(36)

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), जैसलमेर

क्रमांक: आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/2019/4465
प्रेषित :-

दिनांक :- 18.12.2019

संयुक्त शासन सचिव,
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- मानसून अवधि वर्ष 2019 के दौरान दिनांक 03.10.2019 को हुई भारी वर्षा से मौसमी/सूखी नदी में अत्यधिक पानी के बहाव से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति में नदी के बहाव में बोलेरो पलटने से डूब जाने से मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता स्वीकृत करने बाबत।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 4220 दिनांक 07.11.2019

महोदया,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि वर्ष 2019 में मानसून अवधि के दौरान दिनांक 03.10.2019 को जैसलमेर जिले के ग्राम बरमसर के पास हुई भारी बरसात से मौसमी/सूखी नदी में अचानक अत्यधिक पानी के तेज बहाव से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति में बोलेरो पलटने से डूब जाने से निम्नलिखित व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इस सम्बन्ध में प्राकृतिक आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के मानदण्डानुसार मृतकों के आश्रितों को प्रत्येक को राशि रुपये 4.00 लाख (राशि रु. चार लाख मात्र) कुल राशि रुपये 8.00 लाख (राशि रुपये आठ लाख मात्र) की आर्थिक सहायता स्वीकृत करवाने एवं उक्त राशि का वजट आवंटन करवाने का श्रम करावे।

क्र.सं.	मृतका का नाम व पता	आश्रित का नाम व पता
1.	श्री गम्भीर सिंह पुत्र श्री देवी सिंह, जाति राजपूत, उम्र 48 वर्ष, निवासी बरमसर, जैसलमेर	श्रीमती कमल कंवर पत्नी स्व. श्री गम्भीर सिंह निवासी बरमसर, जैसलमेर।
2.	श्री प्रेमराम पुत्र श्री शंकराराम, जाति कुम्हार, उम्र 50 वर्ष, निवासी बरमसर, जैसलमेर	श्रीमती धूड़ी देवी पत्नी स्व. श्री प्रेमराम, निवासी बरमसर, जैसलमेर

प्रभारी अधिकारी (सहायता)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), जैसलमेर

क्रमांक: आ.प्र. एवं सहा. / वाढ / 2019 / 7093

दिनांक :- 17.08.2020

प्रेषित :-

संयुक्त शासन सचिव,
आपदा प्रवन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- मानसून अवधि वर्ष 2019 के दौरान दिनांक 03.10.2019 को हुई भारी वर्षा से मौसमी/सूखी नदी में अत्यधिक पानी के वहाव से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति में नदी के वहाव में बोलेरो पलटने से डूब जाने से मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता स्वीकृत करने बाबत।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 4220 दिनांक 07.11.2019 व 4465 दिनांक 18.12.2019 के क्रम में।

महोदया,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि वर्ष 2019 में मानसून अवधि के दौरान दिनांक 03.10.2019 को जैसलमेर जिले के ग्राम वरमसर के पास हुई भारी बरसात से मौसमी/सूखी नदी में अचानक अत्यधिक पानी के तेज वहाव से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति में बोलेरो पलटने से डूब जाने से निम्नलिखित व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इस सम्बन्ध में प्राकृतिक आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के मानदण्डानुसार मृतकों के आश्रितों को प्रत्येक को राशि रुपये 4.00 लाख (राशि रु. चार लाख मात्र) कुल राशि रुपये 8.00 लाख (राशि रुपये आठ लाख मात्र) की आर्थिक सहायता स्वीकृत करवाने एवं उक्त राशि का वजट आवंटन करवाने का श्रम करावें।

क्र.सं.	मृतका का नाम व पता	आश्रित का नाम व पता
1.	श्री गम्भीर सिंह पुत्र श्री देवी सिंह, जाति राजपूत, उम्र 48 वर्ष, निवासी वरमसर, जैसलमेर	श्रीमती कमल कवर पत्नी स्व. श्री गम्भीर सिंह निवासी वरमसर, जैसलमेर।
2.	श्री प्रेमराम पुत्र श्री शंकराराम, जाति कुम्हार, उम्र 50 वर्ष, निवासी वरमसर, जैसलमेर	श्रीमती धूडी देवी पत्नी स्व. श्री प्रेमराम, निवासी वरमसर, जैसलमेर

प्रभारी अधिकारी सहायता एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर